(e) and (f) Conversion to free hold is presently available in respect of plot size not exceeding 500 sq. mts only. There is no proposal to raise this limit.

Sutlej-Yamuna Link Canal

5761. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to the answer to unstarred Question 2606 given in the Rajya Sabha on 12th August, 1994 regarding Sutlej-Yamuna Link Canal and state;

(a) whether any meaningful action has been taken by the Government of Punjab to complete the balance works on SYL in Punjab;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The information cannot be disclosed in public interest.

Supply of Water to Bombay

5762. SHRI V.N. GADGIL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Government of Maharashtra has approached the Central Water Commission for approval of its Mid Viatarna Project for supply of water to Bombay;

(b) whether the Project has since been approved by the Commission; and

(c) if not, what are the reasons for non-approval?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. The State Government has submitted the feasibility report and development study report of middle vaitarna Dam to the Central Water Commission for examination of its technical aspects.

(b) and (c) The State Government is required to comply with the observations of Contral Water Commission on cost and hydrological aspects. The State Government is also required to get the seispic parameters adopted for the design of dam approved by the National Committee for the design of seismic paramters.

Replacing of Brahmaputra Action Plan

5763. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to have "Brahmaputra Action Plan" by replacing "Brahmaputra Board" which is inactive for its services to control of devastating regular flood havocs in Assam and other North Eastern States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) There is no proposal for replacing the Brahmaputra Board through a Brahmaputra Action Plan. The Board has been active in preparing Master Plans for flood management in the Brahmaputra and Barak valleys. These Master Plans have been adopted by the States specifically the State of Assam for preparing individual Flood Management Plans to protect certain priority areas from the destractive effect of floods. These Master Plans have also been instrumental in guiding the States to formulate specific flood management plans for critically flood prone areas within their territories.

बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

5764. **श्री आस मोहम्मद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कुल कितने क्षेत्र को बाढ़ से

प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में बाढ़ नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने राज्य में व्यापक थल सर्वेक्षण कराने के बाद कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बिहार में 42.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण आंका है बिहार में सभी नदियों, जिनमें बाढ़ आती है, के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों सहित बाढ़ प्रबन्ध की व्यापक योजनाएं तैयार की गई हैं। इन्हें राज्य सरकार के पास इस टिप्पणी के साथ भेजा गया हैं कि वे विस्तृत भू-सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के पश्चात् अलग-अलग योजनाएं बनायें। बाढ़ नियंत्रण राज्यों का विषय है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का वित्तपोषण एवं प्रबंध राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधनों से उनकी आपसी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना है। बिहार सहित गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रूफिंग योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आठवीं योजना में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। निधियों की निर्मुक्ति बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर निर्भर करती है।

(घ) से (च) पिछले चार वर्षों के दौरान, बिहार राज्य सरकार से 19 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच के पश्चात् टिप्पणियां आवश्यक संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को भेजी गयी हैं।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता

5765. **श्री संघ प्रिय गौतम**: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) से (ख) गुजरात सरकार ने दो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं नामशः

(i) 323 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 73 सिंचाई योजनाओं सहित राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना-II और (ii) 390 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 11 सिंचाई योजनाओं सहि 2000 हेक्टेयर से अधिक के कृष्य कमान क्षेत्र वाली वृहद/मझौली सिंचाई परियोजना।

(ग) और (घ) ये प्रस्ताव अपने मसौदा स्तर पर हैं, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृतियों की आवश्यकता है।

(ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।